प्रेस नोट ***दिनांक 29.11.2025***

अन्जान व्यक्ति द्वारा खाते से फ्रांड की गयी 51600 /- रु0 कुल धनराशि (इक्कावन हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अन्जान व्यक्ति के द्वारा खाते से फ्रॉड की गयी कुल धनराशि 51600 (इक्कावन हजार) रुपये, पीडित निशांत सिंह पुत्र बृजविहारी सिंह निवासी डुमरांव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ । आवेदक के कुल धनराशि 51600 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामद कर्ता पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 संजय सिंह
2. अ0नि श्री हरेन्द्र सिंह
3. नि0श्री घनश्याम यादव
4. क0 आ0 आशीष द्विवेदी
5. म0का0 शिखा तिवारी
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर

सार्वजनिक मार्ग पर पल्सर मोटर साइकिल से स्टंटबाजी करते युवक गिरफ्तार”

श्री इलामारन जी पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के द्वारा जनपद में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने एवम् यातायात माह के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस क्रम में वाहन चेकिंग का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में

श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय द्वारा टीम तैयार की गयी। प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर मऊ के पुलिस बल व निरीक्षक यातायात के साथ जनपद में मोटर साइकिल स्टंट करने वाले युवकों की पहचान की जा रही थी तथा मोटर साइकिल से स्टंट कर रहे युवकों को ट्रैक किया जा रहा था इसी क्रम में एक यूट्यूब चैनल को ट्रैक कर एक युवक अबु साइमा पुत्र अनवार निवासी बुलाकीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष के घर पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि उक्त युवक बाइक लेकर सलाहाबाद मोड़ , मऊ आजमगढ़ हाईवे गया हुआ है गया हुआ है इस सूचना पर तत्काल सलाहाबाद मोड़ पहुँचे तो उक्त युवक सार्वजनिक मार्ग पर मोटरसाइकिल से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करने की तैयारी करते हुए पकड़ा गया।

पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया तथा स्टंटबाजी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल UP50AP3164 बजाज पल्सर को विधिवत सीज़ किया गया है। प्रारम्भिक जाँच में युवक द्वारा बिना हेलमेट एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की भी पुष्टि हुई है। अभियुक्त के पास से एक अन्य वाहन UP54AH1374 टीवीएस अपाचे को भी बरामद किया गया है जो सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जा रहे एक वीडियो जिसमें इस अपाचे बाईक का प्रयोग किया गया है से सम्बन्धित होना पायी गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. अबु साइमा पुत्र अनवार निवासी बुलाकीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. यातायात निरीक्षक श्याम शंकर पाण्डेय जनपद मऊ
3. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ0नि0 जय प्रकाश थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. हे0का0 अरविंद यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 जमाल अहमद थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. का0 अमरेश सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8.

01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद चाकू बरामद -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/आपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 29.11.2025 को उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रमोद कुमार व का0 अर्जुन कुमार के पास संदिग्ध वाहन व्यक्ति तथा डग्गामार वाहनों की चेकिंग में मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति बंधा रोड बहद मुहल्ला हट्ठीमदारी सड़क के बगल मे खन्हड मकान के पास नाजायज चाकू लेकर किसी बडी घटना को इन्जाम देने के इरादे से खड़ा है अगर आप लोग जल्दी करेंगे तो नाजायज चाकू के साथ पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर बताए गए स्थान पर रेयाज पुत्र स्व0 मकबूल अहमद नि0 क्यारी टोला कस्बा मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ जिला मऊ उम्र करीब 37 वर्ष को जामा तलाशी ली गई जामा तलाशी से पहनी हुई लुग्गी में कमर में पेपर में लिपटा हुआ एक आदत चाकू नाजायज बरामद हुआ तथा बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 412/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रेयाज पुत्र स्व0 मकबूल अहमद उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रेयाज पुत्र स्व0 मकबूल अहमद नि0 क्यारी टोला कस्बा मोड़ थाना कोतवाली नगर मऊ जिला मऊ उम्र करीब 37 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चाकू

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 412/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तारी टीम-

1. उ0नि0 योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. का0 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. का0 अर्जुन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

मिशन शक्ति" अभियान फेज-05 के अन्तर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता(Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट 01 अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एंव मिशन शक्ति 5.0 के अन्तर्गत महिला अपराध में शून्य सहनशीलता के क्रम मे तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण मे क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनाक 29.11.2025 देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रोड़वेज घोसी के पास से मु0अ0सं0 558/25 धारा 137(2), 65(1) बी.एन.एस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अजयराज पुत्र रामविलाश निवासी सिकन्दरपुर चकबलदेव थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायलय किया गया।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के क्रम अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्येवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देख भाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दिनांक 29.11.2025 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अलीमुद्दीन पुत्र नसरुद्दीन निवासी महरुपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी धवरियासाथ थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया